जय भीम ! लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जय! जय धनगर, जय मल्हार !

धनगर समाज उत्थान समिति (पंजी0)

पंजी0 स0 AGR/04716/2024-2025

कार्यालयः 793, सेक्टर – 4, आवास विकास कॉलोनी, बोदला, आगरा 282007 - उत्तर प्रदेश

संतोष धनगर, प्रदेश अध्यक्ष

निवास स्थानः फ्लैट न – 1, प्लाट न A 60, लेन 4 मधु विहार इन्द्र प्रस्थ विस्तार नई दिल्ली 110092

फोन :9868004027, ई मेल : dhangar1sk@gmail.com

पत्र संख्या:- 2024/ 5G LS/2025 दिनांक: 07 / 01 / 2025

अनुस्मारक-2

सेवा में,

आदरणीय महासचिव लोक सभा,

18, संसद भवन नई दिल्ली 110001

sg-loksabha@sansad.nic.in

विषय:- लोक सभा सचिवालय द्वारा संसद की वेबसाइट पर सितंबर 2024 में अपलोड किए बिल संख्या 59C/1976 के हिंदी संस्करण एवं संबंधित शुद्धि पत्र को विधि विरुद्ध, कूट रचित होने के कारण वेबसाइट से हटाकर सही दस्तावेज अपलोड किए जाने के संबंध में अनुरोध।

संदर्भ:- 1) धनगर समाज उत्थान समिति अनुरोध पत्र दिनांक 4/12/2024

2) माननीय राज्य सभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री डॉ॰ दिनेश शर्मा जी से अग्रसारित पत्र दिनांक 19/12/2024

3) धनगर समाज उत्थान समिति अनुरोध पत्र पर अनुस्मारक दिनांक 01/01/2025

आदरणीय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर लिखित संदर्भित अनुरोध पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिस पर आपके कार्यालय द्वारा कृत अपेक्षित कार्यवाही की कोई सूचना धनगर समाज उत्थान समिति को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

लोक सभा सचिवालय द्वारा सलग्न सूचना अधिकार आवेदन संख्या LOKSS/R/E/24/00710 दिनांक 02/12/2024 में सूचना प्रदान की गई है कि:-

"As per established practice, the Hindi version of corrigenda, as provided by the Ministry, is issued by the Secretariat."

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा सलग्न सूचना अधिकार आवेदन संख्या LEGIS/R/E/24/00385 में दिनांक 13/11/2024 को सूचना प्रदान की गई है कि:-

"any corrigenda for the Bill pending in any House of Parliament are prepared and issued by the concerned Secretariat of that House itself. Legislative Department does not

CamScanner

provide any corrigenda related to any Bill as referred above to the Rajya Sabha /Lok Sabha Secretariat. In view of above, the matter does not pertain to this Department. However, the same may pertain to the concerned House Secretariat where the Bill was introduced."

आपके कार्यालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से स्पष्ट है कि शुद्धि पत्र का हिंदी संस्करण आपके कार्यालय द्वारा ही जारी किया जाता है। अतः जाने अनजाने में यदि इसमें कोई गलती हो गई है तो उसको सही किए जाने की जिम्मेदारी आपके कार्यालय की ही है।

इस शुद्धि पत्र के माध्यम से बिल संख्या 59/1976 के हिंदी संस्करण के पृष्ठ संख्या 17 पंक्ति 28 तथा पृष्ठ संख्या 46 पंक्ति 3 पर उल्लिखित उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित जाति की शुद्ध हिंदी वर्तनी धनगर को बदलकर अशुद्ध करते हुए "धंगड" किया गया है जिसकी पूरी जिम्मेदारी लोक सभा सचिवालय की ही है। जो संविधान अनुच्छेद 341(1)(2),348 का उल्लंघन है। क्योंकि इस बिल से पूर्व राष्ट्रपति आदेश 1950 में भी यह जाति धनगर ही है जैसा कि काका कालेलकर रिपोर्ट 1955 से भी स्पष्ट है अतः राष्ट्रपति आदेश 1950 का भी उल्लंघन है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 भी काका कालेलकर रिपोर्ट 1955 के आधार पर जारी किया गया है अतः इसमें भी यह जाति धनगर ही है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 40462/2009 में दिए गए निर्देश के अनुसार माननीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी अंग्रेजी संस्करण में उपलब्ध DHANGAR को धनगर ही बताया है जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12436/2007 में दिए गए आदेश में भी उल्लिखित किया है। (प्रतिलिपि सलग्न)

अतः आदरणीय महासचिव लोक सभा महोदय से अनुरोध है कि:-

1) कृपया इन विधि विरुद्ध, त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों को तुरंत प्रभाव से वेबसाइट से हटाये जाने,बिल संख्या 59/1976 के हिंदी संस्करण के पृष्ठ संख्या 17 तथा 46 हेतु सही हिंदी वर्तनी धनगर किए जाने हेतु शुद्धि पत्र जारी करवाकर सही दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का कष्ट करें।

2) इस साजिश की उच्च स्तर से जांच करवाकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाए जाने का आदेश जारी करने का कष्ट करें।

3) कृत कार्यवाही से धनगर समाज उत्थान समिति dsusamitiup@gmail.com को सूचित करने का कष्ट करें।

सलग्नक उपरोक्तानुसार

अनुरोध कर्ता
संतोष धनगर,
प्रदेश अध्यक्ष

प्रतिलिपि:- आदरणीय संयुक्त सचिव (विधायी विभाग), लोक सभा सचिवालय 18, संसद भवन नई दिल्ली 110001 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध सहित प्रेषित।

संतोष धनगर,

भारतीय डाक
India Post
ED786137458IN IVR:6968786137458
SP NIRMAN BHAWAN SO <110011>
Counter No:5,07/01/2025,14:59
To:ADARNIYA MAHA,18 SANSAD BHAWAN
PIN:110001, New Delhi GPO
From:SANTOSH DHA,PRESIDEDNT DHANG
Wt:70gms
Amt:29.50,Tax:4.50,Amt.Paid:30.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post
ED786137577IN IVR:6968786137577
SP NIRMAN BHAWAN SO <110011>
Counter No:5,07/01/2025,14:59
To:ADARNIYA SAYU,LOK SABHA
PIN:110001, New Delhi GPO
From:SANTOSH DHA,PRESIDEDNT DHANG
Wt:65gms
Amt:29.50,Tax:4.50,Amt.Paid:30.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

CamScanner

1 जय भीम ।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जय!

जय धनगर, जय मल्हार !

धनगर समाज उत्थान समिति (पंजी0)

पंजी0 स0 AGR/04716/2024-2025

कार्यालयः 793, सेक्टर – 4, आवास विकास कॉलोनी, बोदला, आगरा 282007 - उत्तर प्रदेश

संतोष धनगर, प्रदेश अध्यक्ष

निवास स्थानः फ्लैट न – 1, प्लाट न A 60, लेन 4 मधु विहार इन्द्र प्रस्थ विस्तार नई दिल्ली 110092

फोन : 9868004027, ई मेल : dhangar1sk@gmail.com, dsusamitiup@gmail.com

पत्र संख्या:- 2024/...S.G..L.S......./ 2024

दिनांक ../.../../.../2025

ED920186961IN IVR:6968920186961
SP NIRMAN BHAWAN SO <110011>
Counter No:5,01/01/2025,15:07 India Post
To:HONOURABLE CH,18 SANSAD BHAWAN
PIN:110001, New Delhi GPO
From:SANTOSH DHA,PRESIDENT DHANGA
Wt:55gms
Amt:29.50,Tax:4.50,Amt.Paid:30.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

अनुस्मारक

सेवा में,

आदरणीय महासचिव लोक सभा,

18, संसद भवन नई दिल्ली 110001

sg-loksabha@sansad.nic.in

विषय:- **लोक सभा सचिवालय द्वारा संसद की वेबसाइट पर सितंबर 2024 में अपलोड किए बिल संख्या 59C/1976 के हिंदी संस्करण एवं संबंधित शुद्धि पत्र को विधि विरुद्ध, कूट रचित होने के कारण वेबसाइट से हटाकर सही दस्तावेज अपलोड किए जाने के संबंध में अनुरोध।**

संदर्भ:- धनगर समाज उत्थान समिति अनुरोध पत्र दिनांक 4/12/2024

आदरणीय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर लिखित संदर्भित अनुरोध पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिस पर आपके कार्यालय द्वारा कृत अपेक्षित कार्यवाही की कोई सूचना धनगर समाज उत्थान समिति को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

लोक सभा सचिवालय द्वारा सलग्न सूचना अधिकार आवेदन संख्या LOKSS/R/E/24/00710 दिनांक 02/12/2024 में सूचना प्रदान की गई है कि:-

"As per established practice, the Hindi version of corrigenda, as provided by the Ministry, is issued by the Secretariat."

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा सलग्न सूचना अधिकार आवेदन संख्या LEGIS/R/E/24/00385 में दिनांक 13/11/2024 को सूचना प्रदान की गई है कि:-

"संसद के किसी भी सदन में लंबित विधेयक के लिए कोई भी शुद्धि पत्र उस सदन के संबंधित सचिवालय द्वारा ही तैयार और जारी किया जाता है। विधायी विभाग किसी भी विधेयक से संबंधित कोई शुद्धि पत्र राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराता है।"

CamScanner

आपके कार्यालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से स्पष्ट है कि शुद्धि पत्र का हिंदी संस्करण आपके कार्यालय द्वारा ही जारी किया जाता है। अतः जाने अनजाने में यदि इसमें कोई गलती हो गई है तो उसको सही किए जाने की जिम्मेदारी आपके कार्यालय की ही है।

इस शुद्धि पत्र के माध्यम से बिल संख्या 59/1976 के हिंदी संस्करण के पृष्ठ संख्या 17 पंक्ति 28 तथा 46 पंक्ति 3 पर उल्लिखित शुद्ध हिंदी वर्तनी धनगर को बदलकर अशुद्ध करते हुए "धंगड" किया गया है जिसकी पूरी जिम्मेदारी लोक सभा सचिवालय की ही है। जो संविधान अनुच्छेद 341(1)(2),348 का उल्लंघन है। क्योंकि इस बिल से पूर्व राष्ट्रपति आदेश 1950 में भी यह शब्द धनगर ही है जैसा कि काका कालेलकर रिपोर्ट 1955 से भी स्पष्ट है। तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 40462/2009 में दिए गए निर्देश के अनुसार माननीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी अंग्रेजी संस्करण में उपलब्ध DHANGAR को धनगर ही बताया है (प्रतिलिपि सलग्न)

अतः आदरणीय महासचिव लोक सभा महोदय से अनुरोध है कि:-

1) कृपया इन विधि विरुद्ध, त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों को तुरंत प्रभाव से वेबसाइट से हटाये जाने जाने का कष्ट करें।
2) बिल संख्या 59/1976 के हिंदी संस्करण के पृष्ठ संख्या 17 तथा 46 हेतु सही हिंदी वर्तनी धनगर किए जाने हेतु शुद्धि पत्र जारी करवाकर सही दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का कष्ट करें।
3) इस साजिश की उच्च स्तर से जांच करवाकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाए जाने का आदेश जारी करने का कष्ट करें।
4) कृत कार्यवाही से धनगर समाज उत्थान समिति dsusamitiup@gmail.com को सूचित करने का कष्ट करें।

सलग्नक उपरोक्तानुसार

अनुरोध कर्ता

SANTOSH DHANGAR

President.

CamScanner

LOK SABHA SECRETARIAT
INFORMATION CELL

No.1(1882)/IC/24 **31.12.2024**

From

K Muanniang Tunglut
Deputy Secretary

To

Santosh Dhangar

Subject: Supply of information under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

With reference to your RTI application dated 02.12.2024 bearing registration number LOKSS/R/E/24/00710 regarding rules on issuance of Corrigendum, I am directed to forward information as held by the Branch concerned of this Secretariat *viz*, LB I and as approved by CPIO, for your information.

2. The details of CPIO is as follow.

Shri Maheshwar, Director & CPIO, Room No. 110, Extension Building, Parliament House Annexe, New Delhi – 110001 (Tel.23034268).

3. In case you are not satisfied with information furnished herewith, you may prefer an appeal to the First Appellate Authority within thirty days from the date of issue of this letter. The Appellate Authority for the Secretariat is Shri Y.M Kandpal, Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat, Room No. G 1, Parliament House Annexe, New Delhi – 110001 (Tel. 23034388). Format for the Appeal may be downloaded from the website www.loksabha.nic.in.

Yours faithfully,

Sd/-
(K Muanniang Tunglut)

DEPUTY SECRETARY

CamScanner

Reference: Lok Sabha Secretariat Letter No. **1(1882/IC/24 dated 31.12.2024**

Point No.	Information Sought	Reply
1	Please provide copy of rule under which so called corrigendum dated 24.5.1976 for Hindi version of Bill No.59/1976 issued by Ministry of Law and Justice has been considered and uploaded on website by Lok Sabha Secretariat as the Ministry of Law and Justice denied to be an authority to issu such corrigendum vide their enclosed RTI reply dated 13.11.2024.	Corrigenda dated 24.5.1976 to Hindi version of the Bill No.59/1976, i.e., "the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1976" was provided by the Ministry of Law and Justice (Rajbhasha Vidhayi Ayog) vide their UO No.2(161)/74-Vidheyak dated 24.5.1976 (in Hindi) and the copy of the said UO has already been provided to the applicant on his request. ***As per established practice, the Hindi version of corrigenda, as provided by the Ministry, is issued by the Secretariat.***

CamScanner

A+ A A-

Select Language

English

Public Authorities Available

RTI Online

Version 2.0

An Initiative of Department of Personnel & Training, Government of India

Home Submit Request Submit First Appeal View Status View History Login User Manual Contact Us FAQ

Online RTI Status Form

Note:Fields marked with * are Mandatory

Enter Registration Number	LEGIS/R/E/24/00385
Name	Santosh Dhangar
Received Date	23/10/2024
Public Authority	Legislative Department
Status	REQUEST DISPOSED OF
Date of action	13/11/2024
Reply :- any corrigenda for the Bill pending in any House of Parliament are prepared and issued by the concerned Secretariat of that House itself. Legislative Department does not provide any corrigenda related to any Bill as referred above to the Rajya Sabha /Lok Sabha Secretariat. In view of above, the matter does not pertain to this Department. However, the same may pertain to the concerned House Secretariat where the Bill was introduced.	
CPIO Details :-	Prakash Chand Meena Phone: 011-23388007 prakash[dot]meena[at]nic[dot]in
First Appellate Authority Details :-	Udaya Kumara Phone: 011-23384404 aa-rti-legis[at]nic[dot]in
Nodal Officer Details :-	
Telephone Number	011-23388007
Email Id	prakash[dot]meena[at]nic[dot]in

Print RTI Application Print Status Go Back

Home | National Portal of India | Complaint & Second Appeal to CIC | FAQ | Policy

Copyright © 2023. All rights reserved. Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, New Delhi on the instructions of DOP&T

CamScanner

Annex 'B'

61/14

GOVERNMENT OF INDIA

REPORT

OF THE

Backward Classes Commission

Vol. II

(LISTS)

[illegible] IN INDIA, BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS
[illegible] PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI
1955

Price : Rs. 3-6-0 or 5sh. 6d.

UTTAR PRADESH

List of Scheduled Castes published under the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, together with the revision suggested by the Backward Classes Commission

Sl. No.	Existing List	Hindi Equivalent	Estimated Population, 1951	Communities recommended for Exclusion	Communities recommended for Inclusion	Hindi Equivalent	Estimated Population, 1951
1	2	3	4	5	6	7	8
	Throughout the State:						
1	Agariya . . .	अगरिया	6,892	Bhoksa	1 Aheriya . . .	अहेरिया	..
2	Badi . . .	बादी	..	Gond (recommended for inclusion among Scheduled Tribes throughout the State)	2 Balai . . .	बलाई	..
3	Badhik . . .	बाधिक	1,593		3 Bayar . . .	बयार	..
4	Baheliya . . .	बहेलिया	13,557		4 Khatik . . .	खटीक	..
5	Baiga . . .	बैगा	..		5 Kolha . . .	कोल्हा	..
6	Baiswar . . .	बैसवार	2,71,169		6 Kori . . .	कोरी	..
7	Bajaniya . . .	बजानिया	..		7 Mochi . . .	मोची	..
8	Bajgi . . .	बाजगी	..		8 Musahar . . .	मुसाहर	..
9	Balahar . . .	बलहार	..		9 Tamali (may be put with Pasi).	..	..
10	Balmiki . . .	बालमिकी	..				
11	Bangali . . .	बंगाली	..				

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Banmanus	बनमानुष	..				
13	Bansphor	बाँसफोड़	..				
14	Barwar	बरवार	3,018				
15	Basor	बसोड़	..				
16	Bawariya	बावरिया	..				
17	Beldar	बेलदार	31,594				
18	Beriya	बेरिया	..				
19	Bhantu	भाँटू	..				
20	Bhoksa	भोक्सा	481				
21	Bhuiya	भुइयाँ	651				
22	Bhuiyar	भुइयार	8				
23	Boria	बोरिया	..				
24	Chamar	चमार	73,33,430				
25	Chero	चेरो	5,367				
26	Dabgar	दबगर	763				
27	Dhangar	धनगर	..				
28	Dhanuk	धानुक	..				
29	Dharkar	धरकार	..				

Most Immediate
Court Case
By Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Castes
(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)

File No-6/Inclusion&Exclusion/2012/SSW-1

5th Floor, Loknayak Bhawan
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: - 16-1-2013

To

The Director,
National Commission for Scheduled Castes
State Office Lucknow,
5th Floor, Kendriya Bhawan, Sector-H,
Aliganj, Lucknow-226024.

Sub:- Implementation of Hon'ble High Court of UP order dated 14-3-2012 passed in the matter of All India Dhangar Mahasabha Vs.UP State regarding Hindi version of Caste 'Dhangar' listed at Sl.No.27 of the Scheduled Castes list of UP.

Sir,

I am directed to refer to the subject mentioned above and to say that in pursuance of the Hon'ble High Court of UP's direction in Civil (Misc) Writ Petition No.-40462/2009), the Hon'ble Commission under the Chairmanship of Dr. P.L. Punia, Chairman, NCSC considered the matter in the 29th meeting of NCSC held on 03/12/2012. The Commission has opined that this is neither a case of deletion or addition to the list. This is rather a matter of clarification resulting into replacement of an entry (with no inhabitants) by clarifying another entry (which is in practice). Accordingly, it is decided that SC certificates can be given only to 'Dhangar' and not to 'Dhangd'. A copy of the minutes of the meeting is enclosed for necessary action (Reference Agenda Item No. 29.17).

You are therefore, requested that the Commission's views may be placed before the Hon'ble High Court of UP by engaging a Central Govt. Counsel. An action taken in this regard may also be intimated to the Commission Hqrs. for appraisal of the Hon'ble Commission.

(Encl: As above)

Yours faithfully,

(C.P. Kalyal)
Deputy Secretary to the Govt. of India.

Copy alongwith copy of the extract of minutes of the Commission's meeting for information to:-

1. The Secretary, Social Welfare Department, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow, U.P. w.r.t. letter no. 92-.....26-3-2012 dated 15/5/2012

2. The Director, (SCD), M/o Social Justice & Empowerment, 6th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi w.e.f. letter no. 12018/1/2011-SCD (R.L. Cell) dated 11/6/2012.

(C.P. Kalyal)
Deputy Secretary to the Govt. of India

Annex V

Court No. - 37

Case :- WRIT - C No. - 12436 of 2007
Petitioner :- Rajveer Singh Dhanger
Respondent :- State Of U.P. And Others
Counsel for Petitioner :- Shailendra,Sushil Kumar Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shailendra

Hon'ble Ashok Bhushan,J.
Hon'ble Vipin Sinha,J.

Heard learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel for the State.

Counter affidavit and rejoinder affidavit have been exchanged and with the consent of the parties the writ petition is finally disposed of.

By this writ petition, the petitioner has prayed for following reliefs:

> *"1. issue a writ, order or direction in the nature of certiorari calling the record of the case and quashing the impugned orders dated 25.1.2007, passed by Tehsildar, Mant, District Mathura and 3.1.2007 passed by Principal Secretary (Annexure Nos. 37 and 38 to the writ petition respectively).*
> *2. issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondent-authorities to treat the petitioner, who belongs to Dhangar community as scheduled caste category as he was declared/notified before passing the order and the certificate is still existing.*
> *3. issue any other writ, order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case.*
> *4. award cost of the petition to the petitioners.*
> *5. issue a writ, order or direction in the nature of certiorari calling the record of the case and quashing the impugned order dated 17.7.2010 passed by the Commissioner Samaj Kalyan Government of U.P."*

Learned counsel for the petitioner submits that the Government Order dated 3.1.2007 was withdrawn by order dated 17.7.2009 hence the relief relating to Government Order dated 3.1.2007 has become infructuous.

The petitioner claims to be belonging to "Dhangar" community and was granted a schedule caste certificate on 15.4.2004. The schedule caste certificate was subsequently withdrawn by Tehsildar vide order dated

CamScanner

"2.15 Agenda Item No. 29.17: Inclusion 'Dhangar' in place of 'Dhangad'.

......In support of existence of Dhangar community, the State office found that during the Census from 1961 to 2001, the Registrar General of India, MHA had given Census figures of Dhangar community. The Gazette Notification dated 26.11.2007 issued by the Government of India and Secretary, Welfare of India, letter dated 6.5.1998 also clarified that धनगर (Dhangar) community is notified SC community in the list of SC of UP at the S.No.27 of notification. The Government of UP vide its order no. 0744/26-77-17(21) 74 dated 29.8.1977 has issued order that */kuxj* (Dhangar) is listed at serial no.27 in SC list of UP which was also further clarified vide letter dated 15.9.2001. Moreover the Chief Secretary, Govt. of UP dated 21.10.2008 issued instructions to all the Collectors of UP that the Caste certificate in the name of धनगर (Dhangar) may be issued to the members of that community. Thus it is observed that only धनगर (Dhangar) in UP inhabited and no community in the name of Dhangad is in existence.

Hence, this is neither a case of deletion or addition to the list. This is rather a matter of clarification resulting into replacement of an entry (with no inhabitants) by clarifying another entry (which is in practice). Accordingly, it is decided that SC certificates can be given only to 'Dhangar' धनगर and not to 'Dhangad'(धंगड/धनगड./धंगर)"

The decision taken by the National Commission for Scheduled Castes is a clarificatory decision. In view of the decision of the National Commission for Scheduled Castes, we are of the view that sufficient ground has been made out to set aside the order of Tehsildar dated 25.1.2007 with liberty to Tehsildar to take a fresh decision after taking into consideration the decision of National Commission for Scheduled Castes dated 3.12.2012 as mentioned above. The writ petition is disposed of accordingly.

Order Date :- 3.9.2013
Kuldeep/

CamScanner

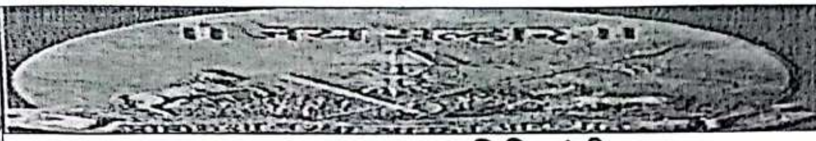

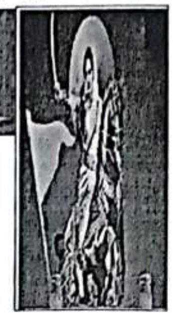

जय भीम ! लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जय! जय धनगर, जय मल्हार !

धनगर समाज उत्थान समिति (पंजी0)

पंजी0 स0 AGR/04716/2024-2025

कार्यालयः 793, सेक्टर – 4, आवास विकास कॉलोनी, बोदला, आगरा 282007 - उत्तर प्रदेश

संतोष धनगर, प्रदेश अध्यक्ष

निवास स्थानः फ्लैट न – 1, प्लाट न A 60, लेन 4 मधु विहार इन्द्र प्रस्थ विस्तार नई दिल्ली 110092

फोन : 9868004027, ई मेल : dhangar1sk@gmail.com, dsusamitiup@gmail.com

पत्र संख्या:- 2024/.....S.G.....LS..../ 2019 दिनांक 05/12/2024

सेवा में,

आदरणीय महासचिव लोक सभा,
18, संसद भवन नई दिल्ली 110001
sg-loksabha@sansad.nic.in

आदरणीय महोदय,

कृपया लोक सभा सचिवालय द्वारा संसद की वेबसाइट पर सितंबर 2024 को अपलोड किए गए सलग्न दस्तावेजों, श्री प्रकाश चंद्र, सहायक प्रारूपकार, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार से हस्ताक्षरित शुद्धि पत्र दिनांक 21/5/1976, दिनांक 24/5/1976 के आधार पर तैयार यथा पारित बिल संख्या 59C/1976 के तथाकथित हिंदी संस्करण का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

जैसा कि सलग्न पत्र दिनांक 13/11/2024 में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा सूचना प्रदान की गई है कि:-

"संसद के किसी भी सदन में लंबित विधेयक के लिए कोई भी शुद्धि पत्र उस सदन के संबंधित सचिवालय द्वारा ही तैयार और जारी किया जाता है। विधायी विभाग किसी भी विधेयक से संबंधित कोई शुद्धि पत्र राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराता है।"

उपरोक्त से साबित होता है कि लोक सभा सचिवालय में उपलब्ध,संसद की वेबसाइट पर सितंबर 2024 को अपलोड किए गए शुद्धि पत्र तथा इसी आधार पर तैयार बिल संख्या 59C/1976 के तथाकथित हिंदी संस्करण विधि विरुद्ध, फर्जी, कूट रचित, भ्रामक, अवैधानिक, मिथ्या, झूठे,साजिश के द्वारा हेराफेरी से तैयार किए गए हैं। अतः आदरणीय महासचिव लोक सभा महोदय से अनुरोध है कि:-

1) कृपया इन दस्तावेजों को तुरंत प्रभाव से वेबसाइट से हटाये जाने,सही दस्तावेज अपलोड किए जाने का कष्ट करें।
2) इस साजिश की उच्च स्तर से जांच करवाकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग
   पंजीकृत करवाए जाने का आदेश जारी करने का कष्ट करें।

[signature] [signature]

(Dial 18002666868) (Know More: [illegible])
FD786180551IN IVR:6968786180551
SP NIRMAN BHAWAN SO (110011)
Counter No:5,05/12/2024,11:14
To:ADARNIYA MAHA.18 SANSAD BHAWAN
PIN:110001, New Delhi GPO
From:SANTOSH DHA,FF A-60 LANE 4
Wt:40gms
Amt:17.70,GS:Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)

CamScanner

3) कृत कार्यवाही से धनगर समाज उत्थान समिति को सूचित करने का कष्ट करें।

सलग्नक उपरोक्तानुसार

अनुरोध कर्ता

Sd/
संतोष धनगर,
प्रदेश अध्यक्ष,

प्रतिलिपि:- (Through e-mail only)

1) आदरणीय सचिव विधायी विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2) आदरणीय सचिव,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
3) आदरणीय प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ 226001 को सूचनार्थ प्रेषित।

संतोष धनगर

CamScanner

(18)

जय भीम ! लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जय! जय धनगर, जय मल्हार !

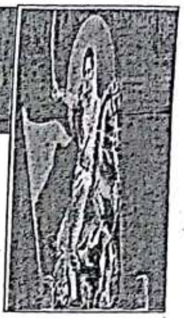

धनगर समाज उत्थान समिति (पंजी0)

पंजी0 स0 AGR/04716/2024-2025

कार्यालयः 793, सेक्टर – 4, आवास विकास कॉलोनी, बोदला, आगरा 282007 - उत्तर प्रदेश

संतोष धनगर, प्रदेश अध्यक्ष

निवास स्थानः फ्लैट न – 1, प्लाट न A 60, लेन 4 मधु विहार इन्द्र प्रस्थ विस्तार नई दिल्ली 110092

फोन : 9868004027, ई मेल : dhangar1sk@gmall.com, dsusamitiup@gmall.com

पत्र संख्या:- 2024/SGLS/2021 दिनांक 19/12/2024

सेवा में,

आदरणीय महासचिव लोक सभा,

18, संसद भवन नई दिल्ली 110001

sg-loksabha@sansad.nic.in

नियमानुसार आ0 का0 हेतु अग्रसारित। 19.12.24 (डॉ दिनेश शर्मा) सांसद राज्यसभा पूर्व उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0

विषय:- लोक सभा सचिवालय द्वारा संसद की वेबसाइट पर सितंबर 2024 में अपलोड किए बिल संख्या 59/1976 से संबंधित दस्तावेजों को विधि विरुद्ध, फर्जी, कूट रचित, भ्रामक, अवैधानिक, मिथ्या, झूठे,साजिश के द्वारा हेराफेरी से तैयार किए जाने के कारण वेबसाइट से हटाकर सही दस्तावेज अपलोड किए जाने के संबंध में अनुरोध।

आदरणीय महोदय,

कृपया लोक सभा सचिवालय द्वारा संसद की वेबसाइट पर सितंबर 2024 को अपलोड किए गए सलग्न दस्तावेजों, श्री प्रकाश चंद्र, सहायक प्रारूपकार, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार से हस्ताक्षरित शुद्धि पत्र दिनांक 21/5/1976, दिनांक 24/5/1976 के आधार पर तैयार यथा पारित बिल संख्या 59C/1976 के तथाकथित हिंदी संस्करण का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

जैसा कि सलग्न पत्र दिनांक में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा सूचना प्रदान की गई है कि:-

"संसद के किसी भी सदन में लंबित विधेयक के लिए कोई भी शुद्धि पत्र उस सदन के संबंधित सचिवालय द्वारा ही तैयार और जारी किया जाता है। विधायी विभाग किसी भी विधेयक से संबंधित कोई शुद्धि पत्र राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराता है।"

उपरोक्त से साबित होता है कि लोक सभा सचिवालय में उपलब्ध,संसद की वेबसाइट पर सितंबर 2024 को अपलोड किए गए शुद्धि पत्र तथा इसी आधार पर तैयार बिल संख्या 59C/1976 के तथाकथित हिंदी संस्करण विधि विरुद्ध, फर्जी, कूट रचित, भ्रामक, अवैधानिक, मिथ्या, झूठे,साजिश के द्वारा हेराफेरी से तैयार किए गए हैं। अतः आदरणीय महासचिव लोक सभा

भारतीय डाक India Post

ED920179869IN IVR:6969720179869

SP NIRMAN BHAWAN SO (110011)

Counter No:5,20/12/2024,10:58

To:ADARNIYA MAHA,18, SANSAD BHAWA

PIN:110001, New Delhi GPO

From:SANTOSH DHA,PRESIDENT DHANAG

Wt:40gms

[signature]

CamScanner

2/8

महोदय से अनुरोध है कि:-

1) कृपया इन दस्तावेजों को तुरंत प्रभाव से वेबसाइट से हटाये जाने,सही दस्तावेज अपलोड किए जाने का कष्ट करें।

2) इस साजिश की उच्च स्तर से जांच करवाकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाए जाने का आदेश जारी करने का कष्ट करें।

3) कृत कार्यवाही से धनगर समाज उत्थान समिति dsusamitiup@gmail.com को सूचित करने का कष्ट करें।

सलग्नक उपरोक्तानुसार

अनुरोध कर्ता

[signature]

संतोष धनगर,
प्रदेश अध्यक्ष,

CamScanner

भारत सरकार
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
राजभाषा (विधायी) आयोग

भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवानदास रोड, नई दिल्ली।

ज्ञापन

आयोग के तारीख 21-5-1976 के पत्र संख्या 2(161)/74-विधेयक के संदर्भ में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976 के शुद्धिपत्र सं0 2 की 650 प्रतियां इसके साथ अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजी जा रही हैं।

(गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव)
अधीक्षक

लोक सभा सचिवालय, विधायी शाखा, नई दिल्ली।
रा0वि0आयोग पृ0सं0सं0 2(161)/74-विधेयक तारीख 24 मई, 1976

3

Receipt No. ... (Computer No. ...)
Generated from eOffice by YOGENDER KUMAR ... LOK SABHA SECRETARIAT on .../.../... pm

(प/8)

भारत सरकार
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
राजभाषा (विधायी) आयोग

भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली.

ज्ञापन

लोक सभा के तारीख - के यू0ओ0सं0 -
संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976
हिन्दी अनुवाद की सम्यक् रूप से संवीक्षित दो प्रतियां आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी
जाती है।

(प्रकाश चन्द)
~~अवर सचिव/उप सचिव/सहायक~~ सहायक प्रारूपकार

लोक सभा सचिवालय, विधायी शाखा, नई दिल्ली
रा0(वि0)आयोग, यू0ओ0सं0 2 (161)/74-विधेयक, तारीख 21-5-1976

उपर्युक्त विधेयक के सही हिन्दी अनुवाद की दो मुद्रित प्रतियां मंत्री महोदय द्वारा अधिप्रमाणीत की जाने के लिए गृह मंत्रालय मंत्रालय को भेजी जा रही है जो अधिप्रमाणीकरण के पश्चात् लोक सभा को भेज दी जाए।

(गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव)
(अनुसन्धान सहायक)
कृते सदस्य, विधेयक सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT
DISTRIBUTION [illegible]
Rec. No.......
22 MAY 1976
Time.......

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश
(संशोधन) विधेयक, 1976 का
शुद्धिपत्र सं0 2

पृष्ठ 2, पंक्ति 19, ''ऐसे'' के स्थान पर ''ऐसा'' पढ़ें ।

'' पंक्ति 19, 20 और 21, ''है'' के स्थान पर ''है'' पढ़ें ।

पृष्ठ 6, पंक्ति 7, ''4 ओरे आल'' के स्थान पर ''4. आरे गाला'' पढ़ें ।

पृष्ठ 12, पंक्ति 41, ''बोसफर'' के स्थान पर ''बोसफोड़'' पढ़ें ।

पृष्ठ 16, पंक्ति 21, ''71. वन्नन'' के स्थान पर ''71. वन्नन(कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)'' पढ़ें ।

पृष्ठ 17, पंक्ति 28, ''27. धनगर'' के स्थान पर ''27. धंगड़'' पढ़ें ।

पृष्ठ 20, पंक्ति 30,- ''15. ढोली'' के स्थान पर ''15. ढोली(कच्छ जिले में)'' पढ़ें ।

पृष्ठ 21, पंक्ति 13,- ''सिती'' के स्थान पर ''सीती'' पढ़ें ।

पृष्ठ 25, पंक्ति 15,- ''7.'' के स्थान पर ''6.'' पढ़ें ।

पृष्ठ 37, पंक्ति 7,- ''रीवा'' के स्थान पर ''रीवा'' पढ़ें ।

पृष्ठ 40, पंक्ति 3,- ''26. मजरो'' के स्थान पर ''26. मेहतर'' पढ़ें ।

पृष्ठ 42, पंक्ति 3 नीचे से,- ''पारधिर'' के स्थान पर ''पारधिर'' पढ़ें ।

पृष्ठ 46, पंक्ति 3,- ''27. धंगर'' के स्थान पर ''27. धंगड़'' पढ़ें ।

पृष्ठ 46, पंक्ति 5 नीचे से,- ''4. बेलिया'' के स्थान पर ''4. बेदिया'' पढ़ें ।

पृष्ठ 48, पंक्ति 11 नीचे से,- ''पा'' के स्थान पर ''या'' पढ़ें ।

पृष्ठ 51, पंक्ति 4 नीचे से,- ''सेथाल'' के स्थान पर ''संथाल'' पढ़ें ।

पृष्ठ 51, पंक्ति 5 नीचे से,- ''11. गोंड'' के स्थान पर ''11. गोंड'' पढ़ें ।

पृष्ठ 54, पंक्ति 19,- ''आ ध'' के स्थान पर ''आरध'' पढ़ें ।

'' पंक्ति 25,- ''ओ ा'' के स्थान पर ''ओरा'' पढ़ें ।

पृष्ठ 56, पंक्ति 7,- ''तिरुनेलवेलि'' के स्थान पर ''तिरुनेलवेलि'' पढ़ें ।

2111

(लोक सभा द्वारा 3 सितम्बर, 1976 को पारित रूप में)

1976 का विधेयक सं० 59-सी

[शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल, 1976 का हिन्दी अनुवाद]

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2

परिभाषाएं। 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "[illegible]" से [illegible] अभिप्रेत है;

(ख) "[illegible]" से [illegible] अनुच्छेद 324 के अधीन [illegible] नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "[illegible] अधिनियम" से [illegible] अधिनियम, 1972 अभिप्रेत है;

(घ) "[illegible] आयोग" से [illegible] अधिनियम की धारा 3 के अधीन [illegible] आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "[illegible]" से [illegible] 1971 [illegible] अभिप्रेत है